संख्या 5663-4 जी0 एस0 I-73/26498

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मंडल, सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी।

2. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा हरियाणा के सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश।

दिनांक चण्डीगढ़ 23 अक्तूबर, 1973

विषयः- अनिवार्य सेवा निवृति की आयु-सरकारी कर्मचारियों का 55 वर्ष के बाद सेवा में रखा जाना।

महोदय,

मुझे निदेश है कि मैं संयुक्त पंजाब सरकार के परिपत्र क्रमांक 4776-3 जी0 एस0 (I) -64/15823, दिनांक 21-5-64 में जारी की गई हिदायतों की ओर आपका ध्यान दिलाऊं। इन हिदायतों में और बातों के साथ यह भी व्यवस्था की गई थी कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी को ऐसा समझाने का कारण हो कि एक सरकारी कर्मचारी की इमानदारी पर शक है तो उसे समय से पूर्व सेवा से रिटायर करने के बारे में विचार करना चाहिए और ऐसा करते समय इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ना चाहिए कि वह अच्छा काम करने की क्षमता रखता है। इसके पश्चात हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 4406-4 जी0 एस0 -I-70/13634, दिनांक 4-6-70 द्वारा यह हिदायतें जारी की गई थी कि इस प्रश्न पर निर्णय, कि क्या एक सरकारी कर्मचारी उस पद पर जिस पर वह उस समय नियुक्त था सेवा में 55 वर्ष की आयु की प्राप्ति के बाद रखा जायेगा, कि उसे निचले पद पर रिवर्ट कर दिया जाये, उसके पिछले 10 वर्षों के सेवा रिकार्ड के आधार पर किया जाये।

2. इस मामले की आगे जांच की गई है और अब सरकार ने यह निर्णय किया है कि जहां तक सरकारी कर्मचारी की इमानदारी का सम्बन्ध है उसकी सारी सेवा के रिकार्ड पर विचार किया जाना चाहिए और जिस सरकारी कर्मचारी की इमानदारी पर कभी भी उसकी सेवा के दौरान शक प्रकट किया गया ो उसे 55 वर्ष की आयु के पश्चात सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए

3. उपरोक्त स्थिति के अनुसार आचरण पंजी में प्रतिकूल टिप्णीयों को जांचते समय उन हिदयतों का अवश्य ध्यान रखा जाए जिनके अनुसार यह जरुरी है कि प्रतिकूल टिप्पणी को विचार में लाने से पहले उन्हें कर्मचारी को सूचित किया गया हो, तथा उन हिदायतों को भी ध्यान में रखा जाये जिनमें यह व्यवस्था की गई है कि प्रतिकूल टिप्पणी कम से कम दो अधिकारियों द्वारा लिखी जानी चाहिए (कर्मचारी जो कि केवल एक ही प्राधिकारी के मातहत काम करते हैं वह इन हिदायतों के तहत नहीं आते)।

(परिपत्र क्रमांक 5515-ए0 एस0 I-61/25297, दिनांक 11-7-61, कन्सोलीडेटिड इन्स्ट्रेक्शन के पैर 5 तथा 6 तथा 10) केवल वही प्रतिकूल टिप्पणियां जो कि उपरोक्त वर्णित हिदायतों के अनुसार हो, सरकारी कर्मचारियों को 55 वर्ष की आयु से आगे सेवा में रखते समय विचार में लाया जाए।

4. कृपया इस पत्र की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

हस्ता/-

उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाए

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

पृ: क्र: 5663-4 जी0 एस0 73/26499, दिनांक चण्डीगढ़ 23 अक्तूबर, 1973।

एक प्रति महालेखाकार वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा, हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव, प्रदा

[illegible]